राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 78/2021

दाताराम पुत्र भाताराम उम्र वर्ष जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 03, ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 11–09–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 78, 77, 111, 112 में प्रार्थी का नाम धोलूराम पुत्र भाताराम के स्थान पर दाताराम पुत्र भाताराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 78, 77, 111, 112 ग्राम रोजड़ा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 78, 77, 111, 112 में प्रार्थी का नाम धोलूराम पुत्र भाताराम के स्थान पर दाताराम पुत्र भाताराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 78, 77, 111, 112 में प्रार्थी का नाम धोलूराम पुत्र भाताराम के स्थान पर दाताराम पुत्र भाताराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 15:05:43 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. झुन्झुनूं (राज.)